



आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद उत्तर

CENTRAL GOODS & SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD NORTH

पहली मंजिल, कस्टम हाउस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380009

FIRST FLOOR, CUSTOM HOUSE, NAVRANGPURA, AHMEDABAD – 380009

फ़ोन/Phone : 079 - 27544599 ई-मेल/E-Mail : commr-cexamd2@nic.in फ़ैक्स/Fax : 079-27544463

परिपत्र

विषय:- सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिन्दी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेसन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना - वर्ष 2023-24 ।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, नई दिल्ली के पत्र कंप्यूटर सं. 215553, दिनांक 19.10.2023 तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के पत्र फा.सं. 12016/1/2022-हिंदी-4-डीओआर, दिनांक 23 मई, 2023 के अनुसार, राजस्व विभाग तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिन्दी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेसन देने के लिए वर्ष 2023-24 के लिए नकद प्रोत्साहन पुरस्कार योजना लागू की गई है । इसकी अवधि **01.04.2023 से 31.03.2024** तक होगी ।

2. पत्रानुसार, योजना के तहत के लिए पुरस्कार राशि निम्नानुसार होगी :-

➤ हिन्दी में टिप्पण/आलेखन के लिए पुरस्कार राशि :

1. पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक 5000/- रूपये
2. दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक 3000/- रूपये
3. तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक 2000/- रूपये

➤ अधिकारियों द्वारा हिन्दी में श्रुतलेख (डिक्टेसन) देने के लिए :

1. पहला पुरस्कार (1 पुरस्कार) : 5000/- रूपये

3. पत्रानुसार, योजना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अलग भौगोलिक स्थिति वाले कार्यालय को स्वतंत्र एकक माना जाएगा । अहमदाबाद उत्तर आयुक्तालय के अधीन कार्यरत मण्डल कार्यालय इस योजना को चलाने के लिए एक स्वतंत्र एकक है । अतः आयुक्तालय के मुख्यालय तथा सभी मण्डल कार्यालयों को अलग-अलग पुरस्कार देय होंगे ।

-2-

4. अतः आयुक्तालय के सभी अनुभागों व मण्डल कार्यालयों के सभी अधिकारियों व कर्मिकों से अनुरोध है कि अपने सरकारी कामकाज जैसे पत्राचार, टिप्पणलेखन, रजिस्टर में प्रविष्टियाँ, सूची तैयार करना, लेखा कार्य इत्यादि में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग कर इस योजना का लाभ उठाएँ | वित्त वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024 तक) के दौरान हिन्दी में किए गए कामकाज का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर अपने उच्चाधिकारी/नियंत्रक अधिकारी से प्रमाणित करवा कर और नमूने के पांच प्रारूपों सहित दिनांक 15 अप्रैल, 2024 तक राजभाषा अनुभाग, मुख्यालय को भिजवा सकते हैं |

5. सभी अनुभाग/मण्डल प्रभारियों से अनुरोध है कि वे इस पत्र को अपने अनुभाग/मण्डल कार्यालय के अधिकारियों/कर्मिकों में अधिक से अधिक परिचालित करवाएँ |

संलग्न:- योजना का विवरण एवं प्रपत्र |

भवदीय,

**Signed by Om Prakash
Bishnoi**

Date: 25-10-2023 16:08:31

Reason: Approved

(ओम प्रकाश बिश्नोई)

उप आयुक्त (रा.भा.)

प्रति प्रेषित :

1. सभी अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद उत्तर |
2. सभी उप/सहायक आयुक्त, मण्डल-I, II, III, IV, V, VI, VII, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद उत्तर |
3. सभी उप/सहायक आयुक्त, अनुभाग प्रभारी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद उत्तर |
4. आयुक्त/अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त के निजी सचिव/निजी सहायक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद उत्तर |
5. सूचना-पट्ट/वेबसाइट |

Email

Fwd: सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना - वर्ष 2023-24

From : AHMEDABAD-II AHMEDABAD-II <commr-cexamd2@nic.in> Mon, Oct 23, 2023 02:54 PM
Subject : Fwd: सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना - वर्ष 2023-24 2 attachments
To : Rajbhasha Anubhag CGST North <rajbhqh-cgstamdnorth@gov.in>



From: "dgpm hindi cell" <dgpm.hindi.cell@gmail.com>
To: "Commissioner Central Excise Ahmedabad I" <commr-cexamd1@gov.in>, "AHMEDABAD-II AHMEDABAD-II" <commr-cexamd2@nic.in>, "AHMEDABADIII AHMEDABADIII" <commr-cexamd3@nic.in>, "CGST Commissioner Rajkot" <commr-cexrajkot@nic.in>, "Gaurav Kumar Sudarshan Kumar NA" <ru-cgstsudharshankumar@gov.in>, "KUTCH(GandhiDham) KUTCH(GandhiDham)" <commr-cexkutch@nic.in>, "AUDIT IAHMEDABAD AUDIT IAHMEDABAD" <commrdr1-cexamd@nic.in>, "S RAMASUBRAMANYAM" <rcru-cgstauditrajkot@gov.in>, "APPEAL-IAHMEDABAD APPEAL-IAHMEDABAD" <commrdr1-cexamd@nic.in>, "APPEAL-III AHMEDABAD APPEAL-III AHMEDABAD" <commrdr1-cexamd@nic.in>, "Bengaluru East Central Tax Hqs" <commr-s2blr@nic.in>, "General Hqs" <general-bwest@gov.in>, "Chakili Tomar" <csouth-ctax@gov.in>, "BANGALORE NORTH GST BANGALORE NORTH GST" <commr-cexblr4@nic.in>, "BANGALORE-NORTH WEST" <commr-cexblr5@nic.in>, "Madhuchandra MR" <ru-cgstmys@gov.in>, "Commissioner of C.Ex. & Central Tax, Mangalore" <comexmng@nic.in>, "commissioner belagavi commissionerate" <commr-cexblgm@nic.in>, "Audit I Bengaluru" <shquad1-blrcta1@gov.in>, "Planning Audittwo" <audt12blr-ipc@gov.in>, "Mysore Audit" <commrdr1-cexmys@nic.in>, "Belagavi Central Tax Audit Commissionerate" <cgstaudit-belagavi@gov.in>, "blr gstappeals-1" <blr.gstappeals-1@gov.in>, "Anuj Mishra" <appeals-2blr@gov.in>, "APPEALMYSORE APPEALMYSORE" <commrdr1-cexmysr@nic.in>, "Central Tax Appeals Commissionerate Belagavi" <belagavi-appeals@gov.in>, "BHOPAL BHOPAL" <commr-cexbpl@nic.in>, "pccexindore@gmail.com, Jabalpur GST Commissionerate" <commr-cexbjpr@nic.in>, "Commissioner GST Ujjain" <commr-cgstujjain@gov.in>, "CGST and Central Excise" <commr-cexrajpur@nic.in>, "Audit Bhopal" <cgstadr1-bpl@gov.in>, "commrdr1-cexbpl@nic.in", "RAIPUR AUDIT" <commrdr1-cexbpl@nic.in>, "Dinesh Singh" <appeal-bhopal@gov.in>, "VIJAY NEGI" <appeal.indore@gov.in>, "Nand Kishor Patil" <appeals-raipur@gov.in>, "indorecustoms18@gmail.com, Sumsroj Kumar Mishra" <cexbbsr2@nic.in>, "COMMISSIONER, ROURKELA" <commr-cexrourkela@nic.in>, "Sribatsa Mahapatra" <commrdr1-cexbbr@nic.in>, "Shri A S Ranga" <commrdr1-cexbbr@nic.in>, "Sarbeswar Nayak" <commrprev-cusbbsr@nic.in>, "CGST and Central Excise JAMMU" <commr-cexjnk@gov.in>, "Commissioner CGST Shimla" <cgstshimla-comm@nic.in>, "BHUPESH SATIJA" <prcommr-ehd@gov.in>, "LUDHIANA CGST" <commr-cexldh@gov.in>, "Central GST Commissionerate Jalandhar" <commr-cexjndr@gov.in>, "GST Audit Jammu" <cgstaudit.jk@gov.in>, "CGST Coimbatore" <cgstcoim@nic.in>, "Trichy GST Commissionerate" <trichy-cgst@gov.in>, "centralexcisemadurai" <cxemadurai24@nic.in>, "Salem Central Excise" <salem@nic.in>, "Audit I Commissionerate Chennai" <centraltax-audit1@gov.in>, "AUDIT-IICHENNAI AUDIT-IICHENNAI" <commrdr2-cexchn@nic.in>, "AUDIT COMMISSIONERATE COIMBATORE" <commrdr1-cexcbtr@nic.in>, "Office of the Commissioner Appeals Chennai" <commrdr1-cexchn@nic.in>, "Appeals II Commissionerate Chennai" <commrdr1-cexchn-rev@gov.in>, "COMMISSIONER APPEALS COIMBATORE" <comppcbe-cex@nic.in>, "DELHI NORTH" <commr-cexdel1@nic.in>, "Central Tax Delhi South" <commr-gstsouth@gov.in>, "DELHI-EAST" <commr-cexdel2@nic.in>, "Commissioner Central GST Delhi West" <commr-gstdelwest@gov.in>, "AUDIT I DELHI AUDIT I DELHI" <commrdr1-cexdel@nic.in>, "Commissioner GST Audit2 Delhi" <commraudit2-gstdel@gov.in>, "APPEAL DELHI" <commrdr1-cexdel@gov.in>, "Dinesh Kumar Meena" <gst-appeal2delhi@gov.in>, "Bandhana Deori" <ccgehy@nic.in>, "Abonita Borah" <dburag@nic.in>, "cexshill" <cexshill@nic.in>, "cgsttanagar" <cgst-tangar@gov.in>, "DULAL BISWAS" <cgstmdr.commte-ngl@gov.in>, "Rajkumar Bhumjoi Singh" <cgst.imphal@gov.in>, "azlgstcommr@gmail.com, CGSTAGT Commissionerate" <cgstcommr.agt@gov.in>, "cexldvagt@gmail.com, AUDIT COMMISSIONERATE GUWAHATI" <commrdr1-cexshng@gov.in>, "Cex appeals guwahati" <cex-appeals-ghy@nic.in>, "Hyderabad Commissionerate" <cgst.hydcmmr@gov.in>, "Secunderabad Commissionerate" <cgst.seccmmr@gov.in>, "The Commissioner Medchal Central Excise" <cgst.mdcmmr@gov.in>, "Rangareddy GST Commissionerate Hyderabad" <cgst.rccmmr@gov.in>, "Hyderabad Audit Commissionerate" <cgst.hydaudit@gov.in>, "Hyderabad Audit II Commissionerate" <cgst.hydaudit2@gov.in>, "Hyderabad Appeals Commissionerate" <cgst.hydaappeals1@gov.in>, "Commissioner Appeals II, Hyderabad" <cgst.hydaappeals2@gov.in>, "HYDERABAD ACE HYDERABAD ACE" <commr-cushyd@nic.in>, "JAIPURCE JAIPUR" <commr-cexjpr@nic.in>, "CENTRAL EXCISE COMMISSIONERATE, JODHPUR" <commr-cexjdhpr@nic.in>, "Manzoor Ali Ansari" <commr-cexalwar@nic.in>, "Udaipur CENTRAL GST COMMISSIONERATE" <commr-cexudair@nic.in>, "Audit Jaipur Audit Jaipur" <commrdr1-cexjpr@nic.in>, "ALOK GUPTA" <commrdr1-jod-rj@gov.in>, "CGST (Appeals) Commissionerate, Jaipur" <cgst-appeals-jai@gov.in>, "Mangi Lal Joshi" <cgstappeals-jod-rj@gov.in>, "Roopam Kapoor" <kolkatanorth.gst@gov.in>, "Kolkata South" <kolsouth.gst@gov.in>, "HOWRAH CGST AND CX COMMTE" <comr2.kol-cex@nic.in>, "Haldia Commissionerate" <haldia@gov.in>, "Siliguri Central Excise" <siliguri@nic.in>, "Bolpur Commissionerate" <cexbolpu@nic.in>, "cgstauditkol@gmail.com, AUDIT IKOLKATA AUDIT IKOLKATA" <commrdr2-cexkoa@nic.in>, "Durgapur Audit Commissionerate" <cgst-dgpaudit@gov.in>, "gstapps kolkata" <gstapps.kolkata@icgate.gov.in>, "CGST and C.Ex., Appeal - II, Kolkata" <apps2-cgstcxkol@nic.in>, "Siliguri Appeal Commissionerate" <siliguri.appeals@gov.in>, "K.P. SINGH" <commr-cexkko@nic.in>, "Commissioner CGST ALLAHABAD" <commr-cexalhd@nic.in>, "KANPUR KANPUR" <commr-cexkpr@nic.in>, "CGST COMMISSIONERATE AGRA" <commissionerate-agra@gov.in>, "commr varanasi" <commr.varanasi@icgate.gov.in>, "kanpur audit" <kanpur.audit@icgate.gov.in>, "AUDIT HQ LKO" <audithq.lko@gov.in>, "Commissioner Appeals Lucknow" <commissionerappeals.lko@gov.in>, "Commissioner Appeals CGST Allahabad" <commr-appald@gov.in>, "comm meerut" <commr.meerut@icgate.gov.in>, "CGST NOIDA COMMISSIONERATE" <cgstshqrs-noida@gov.in>, "CGST GB NAGAR" <cgst-gbn@gov.in>, "Central GST Commissionerate Ghaziabad" <cgst-ghaziabad@gov.in>, "acdehradun@gmail.com, meerut audit" <meerut.audit@icgate.gov.in>, "GAURAV MEENA" <cgstaudit-noida@gov.in>, "Anil Kumar Dehradun" <cgstaudit-uk@gov.in>, "RAVINDR VERRMA" <appeals-mrt@gov.in>, "CGST APPEALS NOIDA" <commrdr1-cexmeerut@nic.in>, "appealsddn@gmail.com, Noida Customs" <noida-customs@gov.in>, "Virender Kumar" <east-gstmum@gov.in>, "Raguram Krishnakumar" <mumbaisouth.gststats@gov.in>, "Commissioner CGST Mumbai Central" <commr-gstcentral@gov.in>, "Technical Section" <tech-gstmumbaivest@gov.in>, "Commissioner Bhiwandi" <commgstm.bhw-rev@gov.in>, "Palgar Commissionerate (CGST & C. Excise)" <palgar.cst@nic.in>, "Commissioner Navi Mumbai" <cgst.navimumbai@gov.in>, "CGST Raigad" <cgstraiga@nic.in>, "COMMISSIONER BELAPUR" <gst.belapur@gov.in>, "Thane Commissionerate" <gst.thane@gov.in>, "Yashwant Kerkar" <thanerural.cgst@nic.in>, "CGST Audit I Mumbai" <cgst-audit1@gov.in>, "Aditya Kumar Goel" <gst.audit2mum@gov.in>, "Shambho Nath" <commr-audit3mum@gov.in>, "CGST Audit Thane" <adm-thau@gov.in>, "COMMR GST AND C.EX. AUDIT RAIGAD MUMBAI ZONE" <audit-gstrai@gov.in>, "Appeal I Mumbai" <appeal1.mum.s1@gov.in>, "CGST Appeals II Mumbai" <appeals.office-bkc@gov.in>, "CGST CX Appeals III Mumbai" <appeals3.mum@gov.in>, "Appeal Thane CGST and C.Ex. Commissionerate" <appeals.thane@gov.in>, "raigarhappeal@gmail.com, Central GST Nagpur" <commr-cexnpr1@nic.in>, "CGST Commissionerate Nagpur" <commr-cexnpr2@nic.in>, "CGST NASIK COMMISSIONERATE" <commr-cexnasik1@nic.in>, "cexauran" <cexauran@nic.in>, "nagpur audit" <nagpur.audit@icgate.gov.in>, "CGST Audit Nashik" <cgstaudit-nsk@gov.in>, "Anil Kumar Mahavir Singh Pal" <appeals-nagpur@gov.in>, "Commissioner Appeals CGST Nashik" <nsk-appeals@gov.in>, "cuscom nagpur" <cuscom.nagpur@icgate.gov.in>, "COMMISSIONER CENTRAL EXCISE PUNE I" <commr-cexpun1@nic.in>, "Central GST Pune-II" <commr-spune@nic.in>, "KOLHAPUR KOLHAPUR" <commr-cexkhp@nic.in>, "statisticscolgoa@gmail.com, Commissioner Central Excise Audit" <commrdr1-cexpun2@nic.in>, "Neelam Sridhar" <commr.cgstpune2audit@gov.in>, "COMMISSIONER APPEAL I PUNE" <commrdr1-cexpun2@nic.in>, "PUNEAPPEAL II PUNEAPPEAL II" <commrdr1-cexpun2@nic.in>, "Appealsgoa" <cgst-appealsgoa@gov.in>, "PUNE CUSTOMS" <commr-cuspune@nic.in>, "Goa Customs Commissionerate" <commr-cusgoa@nic.in>, "pcgstgauragram@gmail.com, Commr gstfbd" <commr-gstfbd@gov.in>, "CGST Commissionerate Panchkula" <commr-cexpchkl@nic.in>, "CGST Commissionerate ROHTAK" <commr-cexrohtak@nic.in>, "GSTAUDIT PANCHKULA" <gstaudit-panchkula@gov.in>, "PAL" <commrdr2-cexdel@nic.in>, "Sumit Gill" <cgstappl.pk@gov.in>, "gstappealgram@gmail.com, "CGST Patna I" <commr-cexpatna@nic.in>, "CGST PATNA II" <cgstpatna@nic.in>, "RANCHI I RANCHI I" <commr-cexran1@nic.in>, "GST AND CENTRAL EXCISE COMMISSIONERATE JAMSHEDPUR" <commr-cexjmsdpr@nic.in>, "Amit Tiwari" <commrdr1-cexpatna@nic.in>, "Rajiv Ranjan Tripathi" <cgst-auditranchi@nic.in>, "commrdr1pat@gmail.com, APPEALRANCHI APPEALRANCHI" <commrdr1-cexran1@nic.in>, "Thiruvananthapuram GST Commissionerate" <thiruvann@nic.in>, "Kochi commissionerate" <cgstcochin@nic.in>, "Calicut Commissionerate" <commr-cexcalicut@nic.in>, "AuditCochin AuditCochin" <commrdr1-cexcoch@nic.in>, "Commissioner Appeals Thiruvananthapuram Zone" <cochin-appeals@gov.in>, "Office of the Commissioner of Customs Preventive cochin" <ru-cpc.ker@gov.in>, "Commissioner" <commr@cochincustoms.gov.in>, "Vadodara I Vadodara I" <commr-cexvdr1@nic.in>, "VADODARA-II VADODARA-II" <commr-cexvdr2@nic.in>, "excisesurat1@nic.in, Commissioner CGST Daman" <commr-cexdaman@nic.in>, "Audit-IVADODARA Audit-IVADODARA" <commrdr1-cexvdr@nic.in>, "Commissioner CGST and Central Excise Audit Surat" <commrdr2-cexvdr@nic.in>, "Uttam Singh" <commr-appl-vad@gov.in>, "Appeal-IVadodara Appeal-IVadodara" <commrdr1-cexvdr@nic.in>, "Commissioner GST Visakhapatnam" <commr-gstvskp@gov.in>, "Tirupati CGST Commissionerate" <commr.tpt@gov.in>, "COMMISSIONER CGST GUNTUR" <commr-cgstguntur@gov.in>, "vizagaudit@gmail.com, AUDITVISAKHAPATNAM AUDITVISAKHAPATNAM" <commrdr1-cexvzg@nic.in>, "COMMISSIONER APPEALS VISAKHAPATNAM UNIT" <commrdr1-cexvzg@nic.in>, "Commissioner of Customs" <commr.cpc-ap@nic.in>, "G V Rao" <estt-cusvzg@gov.in>, "customhouse customhouse" <cus-ahmd-guj@nic.in>, "Kandla Commissionerate" <commr-cuskandla@nic.in>, "CCP Jamnagar" <commr-custjmr@nic.in>, "COMMISSIONER MUNDRA" <commr-cusmundra@nic.in>, "Commr Cus appeal" <Commr.Cus.appeal@gmail.com>, "Principal Commissioner of Customs, Bengaluru Airport and Air Cargo Complex" <commrapacc-cusblr@nic.in>, "Commissioner of Customs Bangalore" <commr-citycusblr@nic.in>, "MANGALORE MANGALORE" <commr-cusmnglr@nic.in>, "Sambharan Ha zra" <customs-appeals0037@gov.in>, "COMMISSIONER OF CUSTOMS AIRPORT" <pcmmrap1-cuschn@gov.in>, "chennai import office" <chennai-importoffice@gov.in>, "customs-chn3@gov.in, "COMMISSIONER OF CUSTOMS EXPORTS" <commr4-cuschn@gov.in>, "COMMISSIONER AUDIT" <chennaicustoms-audit@gov.in>, "pccmmr7acc-cuschn@gov.in, "Commissioner Customs VIII Chennai" <commr8-cuschn@gov.in>, "SUJATHA RAO G U" <aircusappl-chennai@gov.in>, "ARUN KUMAR SHARMA" <cusappl2-chennai@gov.in>, "Zubair Riaz" <ccgen-delhi@gov.in>, "technical acedelhi" <technical.acedelhi@gmail.com>, "DELHIIPPGotherICDs DELHIIPPGotherICDs" <commrdr1-cexdel@gov.in>, "Sanjeeb Kumar Mishra" <imp.icdtkd@gov.in>, "DELHI ICDDTKD Export" <commrdr1-cexdel@gov.in>, "DELHIAIRCARGO Import DELHIAIRCARGO Import" <commrdr1-cexdel@gov.in>, "Shobhit Jain" <ccaudit.del@gov.in>, "DELHICUSTOMSAPPEAL DELHICUSTOMSAPPEAL" <commrdr1-cexdel@gov.in>, "COMMISSIONER CUSTOMS PREVENTIVE AMRITSAR" <commr-cusaar@nic.in>, "Customs Ldh" <customs.ldh@gov.in>, "Customs Preventive Commissionerate Jodhpur" <commr-cusjdhpr@nic.in>, "DELHI PREV DELHI PREV" <commrprev-cusdel@gov.in>, "CUSTOMS PREVENTIVE WB" <commrprev-cuswb@gov.in>, "NIMA PAKHRIN" <kolcus-port@gov.in>, "Prashant Kumar Rohit" <kolcus-airport@gov.in>, "SATYA PRAKASH MAURYA" <appeal-kolcus@gov.in>, "pr.ccggeneral" <pr.cc-general@gov.in>, "Commissioner Customs Export Mumbai I" <ccmuscexp-mum1@gov.in>, "NAGENDRA BHADUR" <import-1ch@gov.in>, "Tejas D Koli" <commr.import2@gov.in>, "Audit Commissionerate Mumbai Zone I" <audit-commr.cus1mum@gov.in>, "Sarita Brito" <ccappealszone.1@gov.in>, "P N Pandey" <commr-ns1@gov.in>, "Sanjeev Kumar Singh" <commr-ns2@gov.in>, "Ashwini Kumar" <commr-ns3@gov.in>, "Audit JNCH" <audit-jnch@gov.in>, "D S GARBYAL" <commr-ns5@gov.in>, "Commissioner NS GEN JNCH" <commr-nsgen@gov.in>, "EDI JNCH" <commr-nsappeal@gov.in>, "Principal Commissioner of Customs" <commrap-cus1mum-3@nic.in>, "Airport Special Cargo Mumbai" <spsc.mumbai@gov.in>, "Import Commissioner" <import.acc@gov.in>, "Commissioner Export Air Cargo Complex Mumbai" <commr-cus4mum3@nic.in>, "Commissioner General Air Cargo Complex Mumbai" <commr-cus5mum3@nic.in>, "MUMBAI Preventive MUMBAI Preventive" <commrprev-cusmum@nic.in>, "office of the Commissioner of Customs Appeals Mumbai Zone III" <commissionerappeal-3@gov.in>, "CRU Section" <cruc.cplko@gov.in>, "Cus Patna" <cuspatna@nic.in>, "TUTICORIN TUTICORIN" <commr-custuticorin@nic.in>, "TRICHYCUS(PRV) TRICHYCUS(PRV)" <commrprev-custrichy@nic.in>, "DRI HQRS" <drihqrsadm-cbec@nic.in>, "dgcei admnd" <dgcei.admnd@gmail.com>, "Directorate of Logistics" <dol-cbec@nic.in>, "DG Vigilance CBIC" <dg.vig-cbec@gov.in>, "DG Anti Profitereing" <dgap.cbic@gov.in>, "DG Export Promotion" <dgexp-dor@nic.in>, "DG Audit" <dg.audit-cbec@gov.in>, "DGTS CBIC" <dgts-cbic@gov.in>, "DGHDR I W and EMC" <dgghrdebcb.admin@gov.in>, "Directorate of Legal Affairs" <dla-rev@nic.in>, "DG NACIN" <dg.nacen-cbec@nic.in>, "dg sys" <dg.sys@icgate.gov.in>, "cdresstat123@gmail.com, Director CRCL" <dir.crcl-cbec@nic.in>, "DG GST" <dggst-cbic@gov.in>, "DG VAL" <directorate.valuation@dov.gov.in>, "DGARM DELHI" <dgarm-cbec@gov.in>, "Directorate of International Customs" <diccbec.dor@gov.in>

Sent: Monday, October 23, 2023 1:34:06 PM
Subject: सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना - वर्ष 2023-24

सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना - वर्ष 2023-24

अग्रेषण पत्र.pdf
302 KB

टिप्पण आलेखन वर्ष 2023-24.pdf
17 MB

	<p>निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय Directorate General of Performance Management अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क Indirect Taxes and Customs ड्रम शेप बिल्डिंग, इंद्रप्रस्थ भवन, इंद्रप्रस्थ एस्टेट Drum Shape Building, I.P. Bhawan, I.P. Estate नई दिल्ली New Delhi - 110002</p>	
---	---	---

कम्प्यूटर संख्या - 215553

सेवा में,

प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक/प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त (सभी)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन

विषय: सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिन्दी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेसन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना - वर्ष 2023-24 के संबंध में

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 23 मई 2023, फा. सं. - ई-12016/1/2022-हिन्दी-4-डीओआर (अनुलग्नक सहित) आवश्यक कार्रवाई करने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे यह अनुरोध किया जाता है कि उक्त पत्र का परिचालन, अपने अधीनस्थ कार्यालयों में भी समुचित अनुपालन के अनुदेश सहित, करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न - यथोपरि

भवदीया,

Signed by

Amita Singh

Date: 19-10-2023 13:13:06

(अमिता सिंह)

अपर महानिदेशक

प्रति:

1. सुश्री प्रीति सेलारे, सहायक निदेशक (राजभाषा) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय की सभी क्षेत्रीय इकाइयों को समरूप कार्रवाई करने के अनुरोध सहित प्रेषित।
3. निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय के सभी अनुभाग प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

फा. सं. ई.12016/1/2022-हिन्दी-4-डीओआर

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 23 मई, 2023

विषय: सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिन्दी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेसन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना - वर्ष 2023-24

राजस्व विभाग में सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिन्दी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेसन देने के लिए राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए नकद प्रोत्साहन पुरस्कार योजना आरम्भ की जा रही है। इसकी अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक होगी। इस योजना के लिए पुरस्कार राशि निम्नानुसार होगी:-

हिन्दी में टिप्पण/आलेखन के लिए पुरस्कार राशि:

1. पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक 5000/- रुपये
2. दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक 3000/- रुपये
3. तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक 2000/- रुपये

अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेसन देने के लिए:

1. पहला पुरस्कार (1 पुरस्कार) : 5000/- रुपये
2. इस योजना में भाग लेने के इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी मूल टिप्पण व आलेखन के साथ-साथ हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जैसे रजिस्टर में इन्द्रराज, सूची तैयार करना, लेखा कार्य आदि जिसका सत्यापन किया जा सके, उसका दैनिक विवरण राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए प्रपत्र में भरकर अपने उच्चाधिकारी से प्रमाणित करवा कर और नमूने के पांच प्रारूपों सहित दिनांक **15 अप्रैल, 2024 तक** हिन्दी-4 अनुभाग को भेज दें।
3. इसी प्रकार वर्ष 2022-23 के लिए इस विभाग में लागू उक्त योजना के अंतर्गत पुरस्कार हेतु दावे भी निर्धारित प्रपत्र में कृपया **30 मई, 2023 तक** अवश्य हिन्दी-4 अनुभाग को प्रेषित करें।

इसे संयुक्त सचिव (राजस्व) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न: योजना का विवरण एवं प्रपत्र

प्रीति सेलारे

(प्रीति सेलारे)
सहायक निदेशक (रा. भा.)
दूरभाष: 23095393

सेवा में,

1. राजस्व विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
2. राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस योजना को स्वतंत्र रूप से अपने कार्यालय में चलाएं।
3. हुडको विशाला स्थित राजस्व विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
4. उप निदेशक के निजी सचिव
5. निदेशक के प्रधान निजी सचिव
6. सहायक निदेशक (हिन्दी- II/III) को उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में परिचालन हेतु।

विषय : सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए राजभाषा विभाग की प्रोत्साहन योजना का विवरण ।

1. योजना का क्षेत्र:

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं ।

2. पात्रता:

- (क) सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं ।
- (ख) केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो 'क' तथा 'ख' क्षेत्र अर्थात् बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा 'ग' क्षेत्र में (जिसमें 'क' व 'ख' क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं) वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखें । इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किए जाएंगे ।
- (ग) आशुलिपिक/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं, इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।
- (घ) हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक, जो सामान्यतः अपना काम हिन्दी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

3. पुरस्कार:

भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगे :-

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय एवं केन्द्रीय सरकार के किसी भी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:-

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) | : प्रत्येक 5000/- रुपए |
| 2. दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) | : प्रत्येक 3000/- रुपए |
| 3. तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) | : प्रत्येक 2000/- रुपए |

(कृपया नोट करें कि अब उक्त प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों आदि कार्यालयों में एक समान रूप से लागू होगी।)

4. योजना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अलग भौगोलिक स्थिति वाले कार्यालय को स्वतंत्र एकक माना जाएगा। उदाहरणार्थ अलग क्षेत्र में स्थित आयकर आयुक्त के अधीन सहायक आयकर आयुक्त आदि को कोई कार्यालय अथवा रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक के अधीन क्षेत्रीय अधीक्षक आदि का कार्यालय इस योजना को चलाने के लिए एक स्वतंत्र एकक माना जाएगा।

5. **पुरस्कार देने के लिए मापदण्ड :**

(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएंगे। इसमें से 70 अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएंगे और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे।

(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो, उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं।

(ग) प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर अगले उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रति-हस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा जोखा रखता है तो कर्मचारी को लेखा-जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा।

(घ) एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी हिन्दी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रति-हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा। यदि प्रति-हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतया निगरानी रखता है और लेखा-जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्यौरा देना होगा।

(ड) **मूल्यांकन समिति:**

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी प्रभारी, संयुक्त सचिव, उप निदेशक(राजभाषा) और निदेशक(राजभाषा) इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी या राजभाषा अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं। तथापि विभिन्न संबंधित कार्यालयों में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है।

6. पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा विवरणी में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा।
